

* ई-मेल स्पीड
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर परिषद दानापुर निजामत अंतर्गत रूपसपुर दोघा कैनाल (पटना कैनाल) किनारे एवं अन्य जल जमाव वाले क्षेत्रों में कुल 57 स्थानों के लिये Rental basis पर High Capacity Dewatering Pump के अधिष्ठापन एवं Diesel आपूर्ति हेतु कुल राशि ₹13,24,05,000.00 (तेरह करोड़ चौबीस लाख पांच हजार रु) मात्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि ₹500.00 लाख रु० (पांच करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

प्रबंध निदेशक बुडको के पत्रांक-533, दिनांक-18.02.2026 के आलोक में विभागीय पत्रांक-983, दिनांक-25.03.2026 द्वारा नगर परिषद दानापुर निजामत अंतर्गत रूपसपुर दोघा कैनाल (पटना कैनाल) किनारे एवं अन्य जल जमाव वाले क्षेत्रों में मॉनसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होने के कारण जलजमाव तथा उससे होने वाले जन-धन की हानि को रोकने हेतु कुल 57 स्थानों के लिये Rental basis पर High Capacity Dewatering Pump के अधिष्ठापन के संबंध में Quotation के माध्यम से प्राप्त दर के आधार पर कार्य की कुल राशि ₹13,13,42,000.00 मात्र एवं Diesel आपूर्ति हेतु ₹10,63,000.00 मात्र कुल राशि ₹13,24,05,000.00 (तेरह करोड़ चौबीस लाख पांच हजार रु) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2. बुडको के पत्रांक-2069, दिनांक-23.07.2026 के आलोक में नगर परिषद दानापुर निजामत अंतर्गत रूपसपुर दोघा कैनाल (पटना कैनाल) किनारे एवं अन्य जल जमाव वाले क्षेत्रों में कुल 57 स्थानों के लिये Rental basis पर High Capacity Dewatering Pump के अधिष्ठापन एवं Diesel आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल स्तम्भ-05 के अनुरूप ₹500.00 लाख रु० (पांच करोड़ रु०) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि + डीजल आपूर्ति की राशि	तत्काल आवंटन की राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Estimate of Hiring charges for supplying on rental basis, shifting installation, running maintenance operation and restoring of 50 Nos of Electric Driven pumps and 07 Nos of Diesel Driven pumps at different location in Nagar Parishad Danapur area during upcoming monsoon 2026	1324.05	1270.63	500.00	770.63

(01 st June to 15 th Oct 2026) under Patna West (Mech) Works division Buidco Patna and Estimate for Requirement of Diesel (HSD) for Operation of Diesel Pumps				
Total	1324.05	1270.63	500.00	770.63

अर्थात् कुल स्वीकृत ₹500.00 लाख रु० (पांच करोड़ रु०) मात्र।

3. स्वीकृत कुल ₹500.00 लाख रु० (पांच करोड़ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 एवं पत्रांक-926, दिनांक-31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०-PTSPLA006, HoA संख्या-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि ₹500.00 लाख रु० (पांच करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2215-जलापूर्ति एवं सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215027890101, विषय शीर्ष-0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से की जाएगी।

6. बिहार कोषागार संहिता के नियम 286 के आलोक में यथा बी0टी0सी0 फार्म संख्या-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र B.T.C- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. विभागीय पत्रांक-06, दिनांक-07.01.2026 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाता में भी कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। यदि योजना में किसी प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसी को उपलब्ध काराई जाएगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009- 9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।
9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को आवश्यक उपलब्ध कराया जाय।
10. स्वीकृत राशि O & M के शर्त को ध्यान में रखते हुए वास्तविक व्यय के विरुद्ध की जायेगी तथा संबंधित को भुगतान वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं संविदा शर्तों के अनुरूप संप्रमाण किया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि का व्यय केवल संबंधित योजना के क्रियान्वयन में ही किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।
12. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के Note#8 पृष्ठ सं०-18/टि० पर दिनांक-06.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#20 पृष्ठ सं०-23/टि० पर दिनांक-13.09.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/ SWD-05-38/2026 170 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 22.09.26

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 15, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।